

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260793, 260522, Fax-262847, E- mail: gngmu-rj@nic.in

क्रमांक / गंगमूल / पीएण्डआई / 2024 / 10980-84

दिनांक:- 25.01.2024

ई-निविदा-सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ जं० द्वारा दुग्ध अवशीतन केन्द्र नोहर, पल्लू, पदमपुर, घड़साना व सूरतगढ़ में आपात कालीन चिकित्सा एवं प्रचार प्रसार कार्य हेतु एसी वाहन हैचबैक/सेडॉन (मॉडल 2020 या उसके बाद का) लगाने के लिए प्रति किलोमीटर की दर से एक वर्ष हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र० सं०	दुग्ध अवशीतन केन्द्र	कार्य प्रकार	दूरी प्रति माह (लगभग)	वाहन का प्रकार	दर	अमानत राशि रुपये	निविदा स्वीकृत पश्चात धरोहर राशि रुपये
1	नोहर	आपातकालीन चिकित्सा एवं प्रचार प्रसार	3000 किमी प्रतिमाह	हैचबैक/सेडॉन	प्रति किमी	25000/-	25000/-
2	पल्लू	आपातकालीन चिकित्सा एवं प्रचार प्रसार	3000 किमी प्रतिमाह	हैचबैक/सेडॉन	प्रति किमी	25000/-	25000/-
3	पदमपुर	आपातकालीन चिकित्सा एवं प्रचार प्रसार	3000 किमी प्रतिमाह	हैचबैक/सेडॉन	प्रति किमी	25000/-	25000/-
4	घड़साना	आपातकालीन चिकित्सा एवं प्रचार प्रसार	3000 किमी प्रतिमाह	हैचबैक/सेडॉन	प्रति किमी	25000/-	25000/-
5	सूरतगढ़	आपातकालीन चिकित्सा एवं प्रचार प्रसार	3000 किमी प्रतिमाह	हैचबैक/सेडॉन	प्रति किमी	25000/-	25000/-

इच्छुक परिवहनकर्ता/व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार डाउनलोड कर दिनांक 13.02.2024 सांय 5.00 पी.एम. तक अपलोड कर सकते हैं। निविदाएं दिनांक 14.02.2024 को संघ के पीएण्डआई कार्यालय में खोली जावेंगी।

निविदा शुल्क प्रति निविदा 118 रुपये (जीएसटी सहित) व अमानत राशि 25000 रुपये श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ के नाम डी.डी. के रूप में तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क प्रति निविदा 500 रुपये **MD, RISL, Jaipur** के नाम डीडी के रूप में संघ कार्यालय में जमा करवाना होगा। निविदा शुल्क, अमानत राशि अथवा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क जमा नहीं करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:- 01552-260793, 260522

राजस्थान को-ओपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लि० जयपुर हेल्प लाईन नं० 0141-2709444, 2709445

(उग्रसेन सहारण)
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ०लि०, जयपुर।
2. प्रभारी लेखा/प्रभारी पीएण्डआई/प्रभारी हनुमानगढ़ क्षेत्र, दुग्ध अवशीतन केन्द्र नोहर, पल्लू, पदमपुर, घड़साना, सूरतगढ़।
3. प्रभारी एमआईएस- कृपया संघ की वेबसाइट एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करवायें।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक।
5. नोटिस बोर्ड/ कार्यालय पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध संचालक

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: gngmu-rj@nic.in

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> to participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.
Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C Scheme, Jaipur.
3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats however D.D. for Tender fee, Processing Fee and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of bids without which tender form will not be accepted and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE: +91-78780-07972, +91-78780-07973 or 180030702232 Toll free, 24X7
E-mail- eproc.rajasthan.gov.in
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads".

Lalith Kumar

Abh

John

R

(Signed by the tenderer
in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E- mail: gngmu-rj@nic.in

Important Date and Time

Sr.	Particulars	Date / Time
1.	Date & time of Uploading tender form by Milk Union	26.01.2024
2.	Date & time of start of Uploading tender by tenderer	26.01.2024
3.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	13.02.2024 by 05:00 PM
4.	Last Date & time submission of :-	
i	EMD (Rs. 25,000/-) per route applied by DD in the name of MD SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD, Hanumangarh	14.02.2024 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
ii	Tender form fee Rs. (100+18 % GST) 118 by DD in the name of MD SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD, Hanumangarh	14.02.2024 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
iii	E-tender processing fee Rs. 500/- by DD / Banker cheque / pay order in the name of MD, RISL., Jaipur	14.02.2024 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
5.	Date & time of technical bid opening	14.02.2024

Lalit Kumar

Ak4-1

Pr
fah(Signed by the tenderer
in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E- mail: gngmu-rj@nic.in

आवश्यक विवरण

- | | | |
|---------------------------------------|----|--|
| 1. निविदा का नाम | :- | आपात चिकित्सा एवं प्रचार प्रसार वाहन-दुग्ध अव0 केन्द्र |
| 2. निविदा सूचना क्रमांक | :- | गंगमूल/पीएण्डआई/2024/ |
| 3. निविदा फॉर्म शुल्क | :- | 118 (एक सौ अठारह रुपये जीएसटी सहित) |
| 4. निविदा प्रोसेसिंग शुल्क | :- | 500 (पांच सौ रुपये) |
| 5. अमानत राशि (डीडी) | :- | 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) |
| 6. धरोहर राशि (निविदा स्वीकृत पश्चात) | :- | 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) |
| 7. अनुबंध अवधि | :- | एक वर्ष हेतु |
| 8. वाहन का प्रकार | :- | हैचबैक या सेडॉन (एसी) |
| 9. वाहन का मॉडल | :- | वर्ष 2020 या उसके बाद का |

निमित्त:- प्रबन्ध संचालक (श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ जं0)

Lal Kumar

Aby 1

✓
Aby

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा प्रपत्र

(कृपया साफ लिखें व अधूरा ना छोड़ें)

1. पथ का नाम:- आपात चिकित्सा एवं प्रचार प्रसार वाहन दुग्ध अवशीतन केन्द्र.....
2. ई-निविदा सूचना:- गंगमूल/पीएण्डआई/2024/.....
3. निविदादाता का नाम श्री पुत्र श्री
4. पूरा पता:-
..... मोबाईल नं0.....
5. निविदादाता का आधार नं0 :-.....(संलग्न छायाप्रति अनुसार)
6. निविदादाता की फर्म का नाम (यदि है तो):-(फर्म संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
7. वाहन का मॉडल :- वर्ष
8. वाहन का विवरण :- वाहन नं0.....प्रकार.....
9. पत्राचार का पता एवं निविदा
खोलने का स्थान :- पीएण्डआई कार्यालय, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0-335512
10. वाहन मेरा स्वयं का है एवं कागजात पूर्ण एवं सही हालत में हैं।
11. निविदा सूचना एवं निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तें, निर्देशों एवं सूचनाओं को मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, जो मुझे पूर्णतः स्वीकार हैं। जिसके सहमति प्रमाण स्वरूप मैंने/ हमने निविदा फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये हैं। निविदा कार्य अनुसार परिवहन दर निविदा के साथ BOQ में दर्शाई गई है। कोई भी तथ्य गलत या अधूरा पाया जाता है तो मेरी निविदा निरस्त कर दी जावे।

Lalit Kumar

Abhy-1

John

Dr

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा भरने हेतु नियम व शर्तें (बोलेरो एसी वाहन)

1. निविदादाता को ई-टैण्डर के माध्यम से ऑनलाईन निविदा भरनी होगी एवं निविदा शर्त मय हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।
2. निविदा टैण्डर नोटिस में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी।
3. प्रबन्ध संचालक न्यूनतम दर पर परिवहन ठेके को दिये जाने हेतु बाध्य नहीं होगा। प्रबन्ध संचालक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेका निरस्त करने का कारण बताने के लिये संघ बाध्य नहीं होगा।
4. ठेकेदार को स्वयं या स्वयं के कार्यालय का पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। ठेकेदार द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का मिलना माना जावेगा।
5. ठेकेदार द्वारा अधुरे एवं लापरवाही द्वारा भरकर अपलोड किये गये निविदा फार्म को निरस्त किया जा सकेगा।
6. बिना अमानत राशि (डीडी) जमा करवाये निविदा मान्य नहीं होगी एवं अमानत व धरोहर राशि के रूप में जमा रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. वाहन निविदादाता के स्वयं के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी अन्यथा इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अगर कोई निविदादाता नया वाहन लगाना चाहता है तो निविदा खोलने की दिनांक के बाद का कय किया हुआ वाहन ही स्वीकार किया जावेगा एवं नये वाहन लगाने हेतु प्रार्थना पत्र अपलोड करना होगा।
8. निविदा प्रपत्र के साथ 25000 रुपये डीडी व निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 25,000 रुपये, कुल 50,000 (पचास हजार रुपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
9. दर सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी।
10. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे। निविदा शर्तों में निविदा दाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोड़ने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन / फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नहीं होगा तथा संबंधित निविदादाता की निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
11. यदि वाहन साझेदारी में हो तो किसी एक साझेदार के हस्ताक्षर करवाने चाहिये, बशर्तें उसके पास पावर ऑफ अटोर्नी हो। साझेदारी डीडी के अभाव में टैण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओं की अमानत राशि संघ द्वारा रोक दी जावेगी। द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की संघ में जमा राशि प्रथम न्यूनतम दर वाला वाहन पथ में लगने के उपरान्त ही लौटाई जा सकेगी।
13. ब्लैक लिस्ट घोषित किये गये ठेकेदार की निविदा निरस्त मानी जावेगी।
14. किसी कारण से अगर पूर्व में वाहन को हटाया गया, बीच अवधि में अनुबंध निरस्त किया गया, दूध आदि चोरी करने पर हटाया, संघ को कोई भी हानि पहुँचाने की कोशिश की गई, संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार जैसा कृत्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा अस्वीकृत की जा सकेगी।
15. अगर कोई वाहन ठेकेदार नया वाहन लगाना चाहता है तो अपना आवेदन (कॉटेशन पत्र) या 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिये गये समय पर नया वाहन निविदा की दिनांक के बाद का मय आर. सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. अगर परिवहन ठेकेदार के संघ में दो से अधिक मोबाईल जीप वाहन अनुबंधित है या कोई दुग्ध परिवहन वाहन अनुबंधित है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा, तथा बाद में ज्ञात होने पर भी वाहन हटाया जा सकेगा।
17. परिवहन ठेकेदार को 2000/- रुपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
18. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु अधिकतम एक माह तक का समय दिया जायेगा।
19. निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति साथ अपलोड करनी होगी।
20. निविदा स्वीकृति पश्चात औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु दी गयी निर्धारित अवधि में औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करने पर निविदादाता की संघ में जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
21. किसी भी समिति/केन्द्र के अध्यक्ष/सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा संघ के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी का स्वयं का या पारिवारिक सदस्य का वाहन नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञात होने पर अनुबंध अवधि के दौरान भी वाहन को हटाया जा सकता है। इस हेतु निविदादाता को निविदा फार्म के साथ 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।





निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

अनुबन्ध शर्तें (बोलेरो एसी)

1. ठेका अवधि, कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी, उसके पश्चात् 3 माह के लिये अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकती है जो कि परिवहन ठेकेदार को मान्य होगी तथा संघ द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से 3 माह के लिये अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकेगी।
2. निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर किसी अन्य को ठेका दिया जा सकेगा।
3. ठेका समाप्त होने पर बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अन्तिम बिल का भुगतान व धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
4. ठेकेदार के किसी भी प्रकार की वसूलियों को ठेकेदार के बकाया बिल से या धरोहर राशि / सम्पत्तियों से वसूल करने का पूर्ण अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार के कर्मचारी या प्रतिनिधि द्वारा की गई गलती हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
5. अगर ठेकेदार द्वारा ठेका बीच में छोड़ दिया जाता है तो उसकी धरोहर राशि एवं अन्य बकाया राशियां जब्त की जा सकेगी व उसे काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
6. कार्यालय को बिना अनुमति के ठेकेदार अपना ठेका दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ठेका 50000 रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवा कर ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
7. निविदा के साथ 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) तथा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् व कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) कुल 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
8. ठेकेदार द्वारा वाहन नहीं भेजने पर कार्यालय द्वारा कोई व्यवस्था की गई तो उसका पूर्ण व्यय ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
9. वाहन में डीजल की व्यवस्था हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
10. वाहन में अनाधिकृत व्यक्ति / सवारियां / माल लाने पर चैकिंग के समय 100 /- रु प्रति सवारी जुर्माना किया जावेगा।
11. किसी भी शर्त का उल्लंघन या कार्यालय/समिति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार अथवा आदेश की अवहेलना करने पर न्यूनतम 500 रुपये तक आर्थिक दण्ड एवं ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।
12. खड़ी गाड़ी का कोई किराया देय नहीं होगा संघ को वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर अनुबंध बीच में निरस्त किया जा सकेगा व आवश्यकतानुसार वाहन को संघ के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में भी लगाया जा सकेगा जिस पर ठेकेदार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
13. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओं की अमानत राशि रोकी जावेगी एवं प्रबंध संचालक न्यूनतम दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होंगे।
14. ठेकेदार को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा जो जिसकी फीस 100 रुपये होगी।
15. वाहन का माईलोमीटर सही एवं कार्यशील नहीं होने पर न्यूनतम 200 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूल किया जा सकेगा।
16. बिना पूर्व सूचना/अनुमति के वाहन निर्धारित समय से आधा घण्टा लेट लाने की स्थिति में न्यूनतम 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना व वाहन न भेजने की स्थिति में या बिना अनुमति के स्वयं के स्तर पर वाहन का उपयोग करने पर 1,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकेगा।
17. वाहन टैक्सी परमिट नम्बर (TA) पंजीकृत ही मान्य होगा।
18. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन ठेकेदार को दुर्घटना बीमा की व्यवस्था अपने स्तर पर करवानी होगी एवं बीमा पत्रों की छाया प्रति संघ कार्यालय में देनी होगी।

Lali Kumar

Abhi

John

निविदादाता हस्तक्षर

19. यदि संघ एवं ठेकेदार के मध्य अनुबंध के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसमें संघ के (आर्बिट्रेटर) अध्यक्ष महोदय का निर्णय अंतिम होगा एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
20. वाहन ठेकेदार को भुगतान हेतु बिल प्रिंटेड स्वीकृत प्रारूप में हर माह में दो बार दिनांक 1 से 15, 16 से 30/31 तक तीन प्रतियों में निर्धारित समय में देना होगा।
21. निविदा खोलने की दिनांक के पश्चात डीजल की दरों में भारत सरकार द्वारा वृद्धि/कमी करने पर ही वाहन की दरों में संशोधन किया जावेगा। जो संघ द्वारा पूर्व निर्धारित वाहनों की प्रति लीटर डीजल पर औसत कि०मी० मानते किया जावेगा। सरकार के आदेश अनुसार अगर संघ कार्य क्षेत्र में डीजल की दरों में प्रतिदिन कमी/वृद्धि लागू होती है तो प्रत्येक माह की एक तारीख को बढ़ोतरी/कमी होने पर प्रभावित परिवहन दर 1 से 15 तारीख तक मान्य होगी एवं 16 तारीख को बढ़ोतरी/कमी होने पर प्रभावित परिवहन दर 16 तारीख से माह की अन्तिम तारीख तक मान्य होगी।
22. किसी भी प्रकार का टैक्स, सर्विस टैक्स, टोल टैक्स, राहगीरी लगती है तो उसका भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा एवं उसकी समस्त जुम्मेवारी ठेकेदार की होगी एवं संघ द्वारा कोई पुनर्भरण नहीं किया जायेगा।
23. किसी भी परिवहन ठेकेदार के संघ में दो से अधिक बोलेरो वाहन या एक भी दुग्ध परिवहन वाहन अनुबंधित नहीं होना चाहिए, अन्यथा ज्ञात होने पर अतिरिक्त वाहनों को हटाया जा सकेगा।
24. वाहन एसी मॉडल का होना चाहिए व एसी(एयर कण्डीशन प्रणाली) कार्यशील न होने पर प्रतिदिन न्यूनतम 200 रुपये जुर्माना किया जा सकेगा।
25. वाहन की लॉग बुक हमेशा वाहन के साथ रखनी होगी, इसके अभाव में 1000 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
26. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य से संघ की साख/हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ठेकेदार की संघ में जमा अमानत राशि/धरोहर राशि व बकाया परिवहन बिलों की राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार का नाम काली सूची में डाला जा सकेगा।
27. वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगवाकर उसका कोड व पासवर्ड संघ को उपलब्ध करवाना होगा। वाहन ठेकेदार द्वारा जीपीएस सिस्टम को सुचारु रूप से चालू रखना आवश्यक होगा। जीपीएस नहीं लगा होने या बन्द होने की स्थिति में न्यूनतम 200 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूल किया जा सकेगा।
28. अगर संघ के कार्य हेतु वाहन राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में ले जाया जाता है तो लगने वाले टैक्स का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा, जिसका पुनर्भरण संघ द्वारा ठेकेदार को परिवहन बिल में कर दिया जायेगा।

Lali Kumar

A4-I

Re

fuh

निविदादाता का पूरा नाम.....
 स्थाई पता :-.....

हस्ताक्षर

वाहन कय कर लगाने हेतु Annexure—1

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मैं/ हम पुत्र श्री..... निवासी
.....शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/हैं, कि संघ द्वारा
सफल निविदादाता घोषित किये जाने पर मैं/ हम संघ द्वारा वांछित मॉडल के वाहन को निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध
करा दूंगा/करा देंगे अन्यथा मेरी/ हमारी अमानत राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावे।

Lalithkumar

Aby—I

for

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)

समिति सदस्य ना होने हेतु Annexure-1

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मैं/ हम पुत्र श्री..... निवासी
.....शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/हैं, कि मैं/हम संघ
के किसी भी समिति/केन्द्र के अध्यक्ष/सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा गंगमूल के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी
नहीं है तथा ना ही कोई पारिवारिक सदस्य है। यदि यह तथ्य झूठा पाया जाता है तो मेरी/ हमारी अमानत राशि संघ
द्वारा जब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)

Lalithkumar

Abh-1

for

Mr